17/10/19 वादी एवं वादी के अधिवक्ता को बार बार एक एक कर
आवाज दिलवाई गई परन्तु अदालत में कोई भी उपस्थित
नहीं हुए है। अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी एवं अदम
पैरवी मिसल तलवाने के अभाव में खारिज किया जाता है।
प्रकरण का परिणाम शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
तकमील दाखिल लेख भण्डार हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned by CamScanner